संख्या:134/2026/808/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 06 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना स्वीकृति कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-72/2026/545/35-4-2026/35-4002(003) /68/2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-सीतापुर में 69 कार्यों की रू. 4679.81 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.1169.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन 69 कार्यों की कार्यदायी संस्था उनके सम्मुख शासनादेश में इंगित है। एतदद्वारा उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-1 से 5 पर इंगित कार्यों की कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों का शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 में इंगित विवरण निम्नवत है:-

शासनादेश दिं. 30.03.2026 का क्रमांक	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	मो0 दुर्गापुरवा पुल से नकवी हाउस होते हुए सिटी स्टेशन होते हुए तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	970	101.04	25.00
2	मो0 तामसेनगंज डा0 आलोक जौहरी अस्पताल से रम्पा टाकिज होते हुए घण्टाघर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	615	79.13	20.00
3	ब्लाक खैराबाद ग्रा0 पं0खपूरा मेन रोड से जयपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	512	78.00	20.00
4	ब्लाक खैराबाद भुइंयाताली तीर्थ परिसर में सामुदायिक केन्द्र निर्माण कार्य।	-	133.82	33.00
5	ब्लाक एलिया ग्रा0प0 पीतपुर ग्राम रजिस्टरपुरवा में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	133.82	33.00
	योग:	**2097**	**525.81**	**131.00**

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:134/2026/808(1)/35-4-2026/35-4002(003)/68/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/पंचायती राज/ नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीतापुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।